

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ।

दूरभाष / फैक्स नं0 05964-225115 पत्रांक १९६२ / 22 याता0

E-mail - pdpwdpth@rediffmail.com

दिनांक 06/07 /2022

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी

वन प्रभाग

पिथौरागढ

विषय:-

जनपद पिथौरागढ़ मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-1710/2015 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत लछैर से कटियानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.60 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग

को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/41149/2019)

सन्दर्भ – महोदय.

- आर०ई०सी० की 62वीं बैठक का फाईल नं0 RO-DDN/REC/1-2014/VOL-5/1122, DT. 03.12.2021

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग में पड़ने वाले वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन प्रपोजल नं० (FP/UK/ROAD/41149/2019) में लगाई गई आपित्तियों का निराकरण किया गया है,जिनका विवरण निम्न प्रकार है —

कं0 सं0	नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा लगायी गयी आपत्तियाँ	उत्तर
1	The proposed road beyond village 'Serad'is not justified as the villages located at the end are already seem connected. The state government may submit the justification in this regard.	मोटर मार्ग की स्वीकृति लछैर से कटियानी तक 12.00 किमी0 लम्बाई में स्वीकृत है। चूकि 12.00 किमी0 में मार्ग कटियानी से नहीं जुड़ पा रहा है।कटियानी से जोड़ने हेतु अतिरिक्त 2.50किमी0 लं0 की आवश्यकता है, जिस हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा 2.50 किमी0 स्वीकृति हेतु शासन को आगणन प्रेषित किया गया है उक्त मोटर मार्ग से आगे की ओर 2.50किमी0 में कटियानी तक सम्पूर्ण नाप भूमि पड़ती है जिसे स्वीकृति उपरान्त अलग से निर्मित किया जाएगा। अतः प्रस्तुत मार्ग औचित्यपूर्ण है।
2	Location of village 'Katyani'is required to be marked in the KML file along with other government structure such as schools, block head quarter etc.	Location of village 'Katyani'has been marked in the KML file along with other government structure such as schools, block head quarter etc. and also uploaded in Form A, Part I.
3	It was seen that the CA area has been inspected by the Range Officer. State Govt. may submit the CA site inspection Report of the concerned DFO.	Site inspection Report of the concerned DFO has been uploaded in Form A, Part I.
4	State Government is requested to submit the CA scheme on the prevailing rates duly countersigned by the concerned DFO.	Plantation scheme with new rate has been uploaded in Form A, Part I and the scheme is attached by this letter.
5	It was also seen that the CA area is mentioned as 10.8 hac instead of 11.20 hac at para 13, in Part II, which is required to be corrected.	This will be uploaded in Form A, Part II by DFO offc.

भवदीय

अधिराति धर्मभवन्ता सन्तियं खर्षः स्रोधिषठियः विकित्ताह